OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. L.N./483/2025 Date 20/12/2025

प्रति,

अमित पाण्डेय,
पत्रकार
संजय पार्क के पास, अम्बिकापुर,
जिला–सरगुजा(छ0ग0) 497001
मो.नं.–7999378789

कानूनी नोटिस

मैं अपने पक्षकार डॉ0 अरविंद कुमार रात्रे जिला नोडल अधिकार (चिरायु), जिला जशपुर (छ0ग0) के अनुदेशानुसार आपको निम्नानुसार कानूनी नोटिस प्रेषित करता हूं :–

1. आप बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति (Valid Licence) के स्वयं को स्वयम्भू पत्रकार के रूप में घोषित कर एवं स्वयंभू यू–ट्यूबर बनकर यू ट्यूब के मार्फत एवं फेसबुक के मार्फत जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से अवैध रकम की उगाही हेतु उनका भयादोहन करके उन्हें ब्लेकमेल करने का धंधा करते हैं।
2. आप यू–ट्यूबर बनकर सोशल मीडिया में जिस तरह का समाचार चलाते हैं, उस तरह का समाचार अथवा संदेश प्रसारित करने हेतु पत्रकारिता का लाइसेंस होना एवं पत्रकार के रूप में विधिवत पंजीकरण होना आवश्यक है।
3. मेरा पक्षकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर अंतर्गत जिला नोडल अधिकारी (चिरायु) के पद पर पदस्थ होकर पूरी निष्ठा लगन एवं ईमानदारी के साथ विधिवत अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है परंतु आप मेरे पक्षकार सहित महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार पदों पर आसीन अनेकों अन्य उच्चाधिकारियों को अपनी पीत पत्रकारिता (Yellow Journlism) द्वारा उनका भयादोहन कर उनसे अवैध राशि की वसूली करने और एवं उन्हें ब्लेकमेल करने का अपराधपूर्ण उद्देश्य रखते हैं एवं अपने इसी अपराधपूर्ण उद्देश्य के तहत आपके द्वारा Amit The

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

No. ________ Date ____________

Warrior यू ट्यूब/फेसबुक चैनल के वीडियो लिंक https://www.youtube.com/watch?v=alvIK3AqjgY एवं https://www.facebook.com/share/v/17jKwCcij8/ में तथा फेसबुक में मेरे पक्षकार एवं अन्य विभिन्न जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध तथा शासन के विभिन्न विभागों के विरुद्ध जोर–शोर से यह झूठा समाचार प्रसारित करा रहे हैं कि **मेरे पक्षकार द्वारा एवं विभिन्न अधिकारियों द्वारा चिरायु योजना का दुरूपयोग करते हुये बड़े पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं इसी आर्थिक भ्रष्टाचार के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों का संलगनीकरण/ट्रांसफर/पोस्टिंग/भर्ती खरीददारी की जा रही है एवं हॉस्पिटल नर्सिंग होम मेडिकल कॉलेज से** कमीशन खोरी की जा रही है तथा पूरी तरह जन विरोधी एवं जनहित विरोधी कार्य करते हुये पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग किया जा रहा है ।

4. इस नोटिस के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख प्रासंगिक है कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भी ब्लेकमेल करने व उनसे रकम उगाही के लिये निराधार दुष्प्रचार किया जा रहा है तथा आपके उक्त दुष्प्रचार में आपकी भाषा एवं शब्दावली से ही यह जाहिर है कि सोशल मीडिया में प्रसारित अपमानकारी दुष्प्रचार सुनी सुनाई बातों एवं अफवाहों पर आधारित समाचार है, जिसकी सत्यता की पुष्टि न होना आपके द्वारा अपने समाचार में घोषित करते हुये इन फर्जी अफवाहों को सत्य घटना के रूप में दुष्प्रचारित किया जा रहा है, जो आपके ब्लेकमेलिंग के अपराधपूर्ण उद्‌देश्य का ज्वलंत प्रमाण है।
5. प्रश्नाधीन प्रसारित समाचारों को आपने एक ओर तो स्वयं अपुष्ट होना तथा सुनी–सुनाई बातों पर आधारित होना कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी सत्यता की पुष्टि हेतु मेरे पक्षकार एवं संबंधित विभाग व संबंधित अधिकारियों का पक्ष सुने बिना उनको बदनाम करने के लिये अपमानकारी कलंकात्मक दुष्प्रचार करते हुये इसे प्रसारित किया जा रहा है जबकि वस्तु स्थिति यह है कि चिरायु योजना के अंतर्गत

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Date ____________

Sr. No. ________

विधिवत कार्य योजना बनाकर चिरायु टीम द्वारा आपरेशन हेतु चिन्हांकित मरिजों को हॉस्पिटल ले जाकर यथासमय न केवल निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है अपितु ऑपरेशन उपरांत शासन के आदेश निर्देश अनुसार फॉलोअप भी किया जा रहा है, जिससे शासकीय योजना का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है तथा आम जनता एवं मरीज लाभांवित हो रहे हैं ।

6. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी न्यूज पोर्टल या किसी भी लिंक में अथवा यू ट्यूब या फेसबुक में किसी भी प्रकार का समाचार प्रसारित व प्रकाशित करने के पूर्व **प्रेस एवं पत्रकारित पंजीकरण अधिनियम, 2023, के तहत तथा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत तथा समाचार पत्र (अपराध के लिये उकसावा) अधिनियम 1908** के तहत संपूर्ण सच्चाई का पता लगाना एवं जिस व्यक्ति के विरुद्ध समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित किया जाना हो, उसका भी पक्ष जानना आवश्यक है एवं पत्रकार के रूप में पंजीकरण भी आवश्यक है परंतु चूंकि आपका उद्देश्य यू–ट्यूबर बनकर यू ट्यूब के मंच का सहारा लेकर ब्लेकमेलिंग के मार्फत अवैध रकम की वसूली है इसलिये आपने मेरे पक्षकार का पक्ष जानने का कोई प्रयास किये बिना ही मेरे पक्षकार को **तंग, परेशान एवं प्रताड़ित करने हेतु, उसे ब्लेकमेल कर उससे अवैध रकम की वसूली हेतु एवं मेरे पक्षकार की प्रतिष्ठा भंग करते हुए उसकी मान–हानि हेतु तथा मेरे पक्षकार को अपमानित कर उसके प्रति लोक अशांति का माहौल बनाने हेतु** मेरे पक्षकार की जानकारी व सहमति के बिना ही अपने चैनल में एवं फेसबुक में मेरे पक्षकार का फोटो डालकर सार्वजनिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा भंग करना प्रारंभ कर दिया।

7. आपके द्वारा मेरे पक्षकार का पक्ष ज्ञात किये बिना उपरोक्तानुसार समाचार सोशल मीडिया में प्रसारित करने के फलस्वरूप मेरे पक्षकार के परिचितों एवं रिश्तेदारों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों तथा आम जनता के मध्य उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई तथा उसे घोर मानसिक कष्ट, वेदना और संताप उत्पन्न हुई तथा उसका शासकीय कार्य अहितकर रूप से प्रभावित हुआ है साथ ही शासकीय योजनाओं एवं जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति समाज में नकारात्मक तथा विद्रोहात्मक संदेश प्रसारित हुआ है ।

ASSOCIATES

Ashok Kumar Mishra 7440606320	Ashish Kumar Mishra 9826178414	Rajendra Patel 9340828563	Vijay Sharma 7000421407	Smt. Archana Pandey 9702783565	Smt. Sharda Mulik 9340019747
Praveen Tripathi 9425290081	Prashant Sharma 8889819990	Sheetu Tripathi (Raipur) 78798 29708	Bhawna Sahu (Raipur) 8770505775	Asima Verma (Raipur) 9770872747	Smt. Mamta Sharma 9424145152
vandana Kesharwani 7999775759	Vidushi Sharma 9340276245	Md. Asif Shaikh 7999868197	Umesh Thawait 9098101176	Nitesh Shrivas (Bilaspur) 7000326109	Vandana Sahu (Durg) 7828074082

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Ref. No. ________ Date ________

8. मेरे पक्षकार अपनी उपरोक्त क्षतियों का मूल्यांकन 50,00,000 / –(पचास लाख रूपये) करता है, जिसकी अदायगी हेतु आप उत्तरदायी हैं।
9. मेरे पक्षकार के विरुद्ध इस नोटिस में वर्णित अपमानकारी संदेश / समाचार सोशल मीडिया में आपने उसे तंग, प्रताड़ित और परेशान करने के उद्देश्य से एवं उसका भयादोहन कर उससे अवैध रकम की वसूली करने अन्यथा उसे बदनाम कर देने के उद्देश्य से प्रसारित किया है, जिसके संबंध में मेरे पक्षकार द्वारा वस्तु स्थिति से पुलिस एवं प्रशासन को अवगत कराते हुये समुचित तथ्यात्मक जानकारी दे दी गई है परंतु इसके बावजूद अभी तक आपके द्वारा अभिकथित अपराधपूर्ण कृत्य की निरंतर पूनरावृत्ति जारी है ।
10. आपका उपरोक्त वर्णित कृत्य **सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 67 के अंतर्गत एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356(2), 356(3) एवं 352 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये आप पृथक से आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) के पात्र हैं ।**
11. मेरे पक्षकार द्वारा आपसे निम्नांकित दावाकृत प्रस्तावित अनुतोष प्राप्त न होने पर उक्त अनुतोषों की प्राप्ति हेतु आपके विरुद्ध वैधानिक एवं न्यायालयीन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाना प्रस्तावित एवं विचाराधीन है :–

अ– मेरे पक्षकार का पक्ष ज्ञात कर उससे लिखित क्षमा याचना करते हुये अभिकथित झूठे तौर पर प्रसारित समाचार का एक सप्ताह तक खेद सहित खण्डन प्रसारित करें तथा साथ ही मेरे पक्षकार का पक्ष अपने लिंक एवं फेसबुक में निरंतर एक सप्ताह तक प्रसारित करें ।

ब– आपके अपकृत्य के परिणामस्वरूप मेरे पक्षकार को व्युत्पन्न गहन मानसिक कष्ट, संताप एवं वेदना तथा मानहानि जनित मदों में मेरे पक्षकार को 50,00,000 / –(पचास लाख रूपये) क्षतिपूर्ति रकम का भुगतान कर देवें ।

ASSOCIATES

Ashok Kumar Mishra 7440606320	Ashish Kumar Mishra 9826178414	Rajendra Patel 9340828563	Vijay Sharma 7000421407	Smt. Archana Pandey 9702783565	Smt. Sharda Mulik 9340019747
Praveen Tripathi 9425290081	Prashant Sharma 8889819990	Sheetu Tripathi (Raipur) 78798 29708	Bhawna Sahu (Raipur) 8770505775	Asima Verma (Raipur) 9770872747	Smt. Mamta Sharma 9424145152
vandana Kesharwani 7999775759	Vidushi Sharma 9340276245	Md. Asif Shaikh 7999868197	Umesh Thawait 9098101176	Nitesh Shrivas (Bilaspur) 7000326109	Vandana Sahu (Durg) 7828074082

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Date ______________

Sr. No. ________

अतएव एतदद्वारा आपको आगाह किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर मेरे पक्षकार को उसके द्वारा दावाकृत प्रस्तावित अनुतोष, जो इस नोटिस की कण्डिका 11 अ एवं ब में वर्णित हैं, मेरे पक्षकार को प्रदान कर दें अन्यथा उक्त अनुतोषों की प्राप्ति हेतु मेरे पक्षकार द्वारा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी जावेगी जिसके संपूर्ण व्ययों के वहन हेतु आप उत्तरदायी होगें, साथ ही आपके द्वारा मेरे पक्षकार को इस नोटिस का मूल्य 25,000/–रू. भी देय होगा।

इस नोटिस की एक सत्यप्रतिलिपि आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के उद्देश्य से मेरे कार्यालय में सुरक्षित रख ली गई है।

इस नोटिस का मूल्य 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये)

Ashok Kumar Mishra
Advocate
Beladula Raigarh (C.G.)
Regd. No.- 995/1982
Mob. No.- 7440606320

भवदीय
अशोक कुमार मिश्रा
एडवोकेट
रायगढ़ (छ0ग0)

<u>नोट :–</u> इस नोटिस की एक प्रति कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर तथा पुलिस अधीक्षक जशपुर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे इस नोटिस में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में अमित पाण्डेय के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर मेरे पक्षकार को न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करें।

Ashok Kumar Mishra
Advocate
Beladula Raigarh (C.G.)
Regd. No.- 995/1982
Mob. No.- 7440606320